

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
07/02/2025 16:32 hrs

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय): 15:40 hrs
07/02/2025

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): Date and Time (दिनांक और समय):
007 07/02/2025 15:46 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 7 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): खरावड फलाईओवर के नीचे, आउटर बाईपास, रोहतक।

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जितेन्द्र

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री अजीत सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(g) Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राजेन्द्रा कालोनी नजदीक भिवानी, चुंगी, रोहतक। ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राजेन्द्रा कालोनी नजदीक भिवानी, चुंगी, रोहतक। ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416767003

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	एस.डी.ओ सचिन			1. हरियाणा राज्य प्रदूषण, नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय, कार्यालय, रोहतक ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

रोहतक।

विषय:- भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही/रैड करवाने बारे।

श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं जितेन्द्र पुत्र श्री अजीत सिंह वासी राजेन्द्रा कालोनी, नजदीक भिवानी चुंगी,

रोहतक का रहने वाला हूँ। मैंने M/s Kundu Stone Crusher के नाम से गांव बनियानी जिला रोहतक में स्टोन क्रेशर लगाया हुआ है। जिसकी मैंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण विभाग से CTO (Consent to Operate) ले रखी है। जो अब मैंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण विभाग से अपने स्टोन क्रेशर की क्षमता 100 टन प्रति दिन से 400 टन प्रति दिन बढ़वाने के लिए दिनांक 10.01.2025 को प्रदूषण विभाग की ऑनलाइन साईट पर CTE (Consent to Establishment) Expansion के लिए अप्लाई किया था। जिस पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक द्वारा NOC to CTE Expansion दी जानी है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक के एस.डी.ओ श्री सचिन द्वारा मेरे स्टोन क्रेशर की उक्त NOC to CTE Expansion देने की एवज में मेरे से एक लाख ₹00 की रिश्त राशी की मांग की है। जिसकी मैंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं यह रिश्त राशी देना नहीं चाहता बल्कि रिश्त राशी के साथ इस भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। रिश्त राशी लेन-देन की रिकॉर्डिंग को मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। उक्त भ्रष्ट अधिकारी एस.डी.ओ श्री सचिन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

भवदीय, हस्ता:- अंग्रेजी Jitender

जितेन्द्र पुत्र श्री अजीत सिंह, 7/2/2025

वासी राजेन्द्रा कालोनी,

नजदीक भिवानी चुंगी, रोहतक।

मो. नं. 9416767003

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 07.02.25 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक हूँ। जो एक टेलिफोन मोबाईल नं. 9416767003 से मेरे मोबाईल नं. 9253012055 पर प्राप्त हुआ। जिसने बतलाया कि मैं जितेन्द्र पुत्र श्री अजीत सिंह वासी राजेन्द्रा कालोनी, नजदीक भिवानी चुंगी, रोहतक बोल रहा हूँ और मैं एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ रैड करवाना चाहता हूँ। जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को रोहतक आउटर बाईपास, खरावड फ्लाईओवर के नीचे हाजिर मिलने बारे कहा। मैं रैडिंग टीम के साथ आपके पास पहुंचती हूँ। जिस पर मन निरीक्षक ने एक प्राईवेट गाडी व रैडिंग टीम जिसमें ASI राजेश 932/झज्जर, EHC प्रवीन 616/रोहतक, HC नवीन 128/रोहतक, HC अंजीत 2057/रोहतक, EHC अनील 571/झज्जर, HC विकास 1824/रोहतक बासवारी सवारी गाडी सरकारी न0 HR 03 GV.9489 जिसका चालक EHC पवन कुमार 1233/झज्जर तैयार करके शिकायत बारे अफसरान बाला को अवगत करवाया गया व अफसरान बाला द्वारा Sh. Rohit Kumar, XEN, PHED, Div. No. 01, Rohtak को राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह नियुक्त किया गया। राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह उपरोक्त से बजरिया टेलिफोन सम्पर्क किया गया व अपने साथ एक नियमित कर्मचारी बतौर छायागवाह लेकर रोहतक आउटर बाईपास, खरावड फ्लाईओवर के नीचे लेकर पहुंचने बारे कहा गया। जो मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान मय गाडी सरकारी व प्राईवेट के मय लैपटॉप मय प्रिन्टर व रैडिंग कीट के रवाना रोहतक आउटर बाईपास, खरावड फ्लाईओवर के नीचे की होती हूँ। मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान के रोहतक आउटर बाईपास, खरावड फ्लाईओवर के नीचे पहुंची जहां पर शिकायतकर्ता जितेन्द्र उपरोक्त हाजिर आया। जिसने मन निरीक्षक को उपरोक्त टाईपशुदा दरखास्त पेश की और आरोपी सचिन एस.डी.ओ कार्यालय हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक के बीच रिश्त लेन-देन बारे रिकॉर्डिंग को सुनाया गया। जो कुछ देर बाद श्री रोहित कुमार XEN, PHED, Div. No. 01, Rohtak अपने साथ संदीप Bin Card Clerk O/o XEN, PHED, Div. No. 01, Rohtak बतौर छाया गवाह हाजिर लेकर आया। जिनको शिकायतकर्ता से मिलवाकर हालात से अवगत करवाया गया। जो दरखास्त एवं रिकॉर्डिंग के अवलोकन से मामला सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा अभियोग अंकित करने के लिये HC विकास 1824/रोहतक के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक भेजी जा रही है, बाद करने दर्ज अभियोग नम्बर पर्चा से सुचित किया जाए और स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। मन निरीक्षक अन्य रैडिंग कार्यवाही में मशरूफ होती हूँ।

अज:- खरावड फ्लाईओवर के नीचे, आउटर बाईपास, रोहतक।

हस्ता अंग्रेजी Parmila Insp

(प्रमिला), निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

रोहतक।

दिनांक 07.02.2025

समय- 2.30 PM

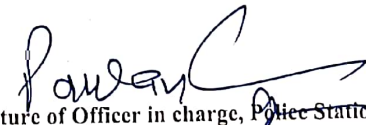
अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 04 दिनांक 07.02.2025 धारा 7 P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मुख्य सिपाही विकास न0 1824/रोहतक की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक पवन कुमार की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Parmila Rank (पद): I (Inspector)
Devi
No. (सं.): 189SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)


Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pawan Kumar

Rank (पद): Inspector

No. PRAP/84

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):